(E-8027)

NGE-18007/4/2021-Group B-CGA Government of India Ministry of Finance Department of Expenditure CONTROLLER GENERAL OF ACCOUNTS (HR-4 Section)

Mahalekha Niyantrak Bhawan GPO Complex, Block-E, INA, New Delhi-110023. Email:-hr4section-cga@gov.in

Dated: the /6 August, 2024

CIRCULAR

Please find enclosed a copy of Land Ports Authority of India, Ministry of Home Affairs, Government of India dated 19.07.2024 inviting applications to fill up vacancies in different Group 'C' and Group 'B' (Non-Gazetted) posts on deputation (foreign service) basis. The last date for reaching applications is 02.09.2024. It may be circulated amongst CCAS officials for wider publicity.

Encl: as above.

(Nirbhay Kumar Singh) Senior Accounts Officer

To,

The Pr.CCAs/CCAs/CAs All Ministries/Departments







Government of India Ministry of Home Affairs Land Ports Authority of India

1st Floor, Lok Nayak Bhawan,

Khan Market, New Delhi-110003. Date: 19.07. 2024

E-13012/1/2024/LPAI/Deputation Recruitment(Pt-1)/3704359/9899-16

VACANCY CIRCULAR

Subject: Filling up of vacant posts at LPAI Secretariat, New Delhi and its ICPs on deputation (Foreign Service) basis from those working in Central/State Government / Union territory Administration / Statutory Body / Autonomous Body.

The Land Ports Authority of India (LPAI), a statutory body set up under the LPAI Act 2010 for development and management of Land Ports / Integrated Check Posts (ICPs) at various locations on international land borders of India proposes to fill-up the following vacant posts on deputation (Foreign Service) basis from amongst Central/State Government / Union territory Administration / Statutory Body / Autonomous Body Officers for its Secretariat and Integrated Check Posts as under: -

LPAI Sectt., New Delhi

SI.	Name of Post	Pre-revised Pay Band + Grade Pay	Pay Matrix Level (7 th CPC)	No. of posts to be filled up
		Pay Band-4+8700	Level-13	1
1.	Director	Pay Band-3 + 6600	Level- 11	1
2.	Under Secretary	Pay Band-3 + 6600	Level- 11	1
3.	Executive Engineer	Pay Band -2+4600	Level-7	1
4.	Section Officer	Pay Band -2+4600	Level-7	
8.	Private Secretary	Pay Band -2+4200	Level-6	2
6.	Assistant	Pay Band-2+4200	Level-6	2
7'.	Personal Assistant	Pay Band-2+4200 Pay Band-2+4200	Level-6	2
8.	Junior Engineer	Pay Band-2+4200		(1 each)
	(Civil and Electrical)	Pay Band 2 +4200	Level-6	1
9.	Sr. Accountant	Pay Band 2 14200	Level-5	1
10-	Accountant	Pay Band-1+2800	Level-2	1
H.	Cashier	Pay Band-1 +1900	Level-4	1
12.	Steno Gr 'D'	Pay Band-1+2400	Sub Total (A)	15

For ICPs:

No. of posts to Pay Matrix Level Pre-revised Pay Name of Post SI. (7th CPC) be filled up Band + Grade Pay No. Level- 11 Pay Band-3 + 6600 Manager 8 Level-6 Pay Band-2+4200 Assistant 7 Level-4 Pay Band-1+2400 Stenographer Grade-D Sub Total (B) 16 31 GRAND TOTAL (A+B)

Dy. No. 310

KNO (HIK)

- (i) Number of vacancies may be decreased or increased at the discretion 2.
 - (ii) Selected Officer/Official for the vacant posts at ICPs will be liable to be at any of the ICPs located at Attari, Jogbani, Raxaul, Agartala, Petrapole and Moreh.
 - (iii) LPAI is an eligible office for GPRA (only for Central Govt. Employees).
- The details of eligibility and other conditions, along with details of functions and responsibilities for the above posts are given in Annexure 'A'.
- The format of application is appended as Annexure-'B'. 4.
- The applicants for Level 7 and below posts should have basic working knowledge of computers particularly in all the modules of MS Office including e-office,
- The deputation will be initially for a period of five years. Period of deputation will include period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department in the Central Government. The appointment will not bestow on the appointee on deputation any claim for regular appointment.
- The deputation will be subject to various circulars of DOP&T on the subject and especially the terms and conditions of deputation as stipulated in DOP&T's OM No. 6/8/2009-Estt. (Pay II) dated 17.06.2010 and subsequent amendments made thereon.
- 8. The last date for receiving of applications is 02-09-2024.
- The applications of willing and eligible officials whose services could be spared 9. immediately, may be sent along with attested copies of ACRs/APARs for the last 5 years and Vigilance Clearance / Integrity Certificate, through proper channel to the Deputy Secretary (Administration), Land Ports Authority of India, 1st Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi-110003, so as to reach LPAI by 02-09-2024.
- 10. Applicants may send advance copies by post at the above address and also on email id: dsga-lpai@lpai.gov.in. However, only the applications received through proper channel by the due date and complete in all respects, shall be considered for selection.
- All the details in this regard may also be obtained from this Authority's website http://lpai.gov.in under Vacancies Tab, Ministry of Home Affairs: http://mha.nic.in/vacancies and National Career Service (NCS) Portal: www.ncs.gov.in

(Madhukar Pandey) Deputy Secretary (Admn) E-mail: dsga-lpai@lpai.gov.in Tel:- 011-24340708

- 1. The Secretaries of all Departments of Government of India with the request to circulate it widely to all the officials under their control.
- 2. The Chief Secretaries and Resident Commissioners of all State Governments/Union Territories with the request to circulate it widely to all the officials under their control.

- 3. Director (CS Division) DoP&T, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, with the request to circulate it widely to all the officers under their control and also to post it on the website.
- 4. DG, CPWD, Nirman Bhawn, New Delhi.
- 5. DG BSF, Block No. 10, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi, Delhi 110003 with the request to circulate it widely to all the officials under their control.
- 6. DG SSB, Vivekanand Marg, East Block 5, RK Puram, New Delhi, Delhi 110066 with the request to circulate it widely to all the officials under their control.
- 7. DG ITBP, Block No-2, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi, Delhi 110003 with the request to circulate it widely to all the officials under their control.
- 8. DG Assam Riffles, E. Khasi Hills (Shillong), Meghalaya, India with the request to circulate it widely to all the officials under their control.
- 9. Directorate General, CRPF, Block No.-1, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi-110 003, with the request to circulate it widely to all the officials under their control.
- 10. PPS to Secretary (BM)/ PS to JS (BM)/ DS (BM-II), MHA
- 11. ICP Managers at Attari, Agartala, Petrapole, Raxaul, Jogbani, Moreh and Dawki Land Ports to put this up on their notice board.
- 12. IT Section, MHA for posting on the web-site of MHA at http://mha.nic.in/vacancies through BM-II Division, MHA
- 13.IT Division, LPAI for posting on the web-site of LPAI http://lpai.gov.in at appropriate place.
- 14.IT Division, NCS for posting on the web-site of NCS Portal www.ncs.gov.in at appropriate place.
- 15 Joint CGA, Mahalekha Niyantrak Bhawan, Ministry of Finance, GPO Complex Block-E, Aviation Colony, New Delhi-110023.
- 16. Hon'ble Principal District & Sessions Judge (HQs), Tis Hazari Courts, Bhiku Ram Jain Marg, Rajpur Road, Block BGS, Kamla Nehru Ridge, Civil Lines New Delhi-110054 with the request to circulate it widely to all the officials under their control.
- 17. The Chairman CBDT, North Block, New Delhi with the request to circulate it widely to all the officials under their control.
- 18. The Chairman Railway Board, Rail Bhawan, New Delhi with the request to circulate it widely to all the officials under their control.

(Madhukar Pandey) Deputy Secretary (Admn) E-mail: dsga-lpai@lpai.gov.in

Tel:- 011-24340708

Eligibility criteria for the posts of Group 'A' to be filled up by Deputation and for Group 'B' and 'C' on deputation and on short term contract basis in LPAI.

M.	Director	Deputation—
1		
2		Officers from the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay level 12 or equivalent; and (b) possessing three years' experience in the field of trade and commerce, policy, security, planning and development, administration, finance and legal matters in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body.
		Note 1.— Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body shall ordinarily be for an initial period of five years and extendable up to seven years on yearly basis subject to prior approval of the lending organisation.
		Note 2.— The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.";
1	Under Secretary	Deputation –
		Officers from the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body —
		(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
		(ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay level 10 or equivalent; and
		(iii) with eight years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay level 8 or equivalent; and
		(b) possessing five years' experience in the fields of policy, planning and development, administration, human resource development, finance, vigilance, court cases, communication related matters in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statuary Body or Autonomous Body.
		Note 1 - Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statuary Body or Autonomous Body shall ordinarily be for an initial period of five years and extendable up to seven years on yearly basis subject to prior approval of the lending organisation.
		Note 2 - The maximum age limit for appointment by deputation shall be

applications. Deputation-Manager Officers from the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body-(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay level 10 or equivalent; (iii) with eight years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay level 8 or equivalent; and (b) possessing five years' experience in the fields of Management, planning and development, administration, human resource development, finance, vigilance, court cases and communication related matters in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Desirable—Preferably holding of Master Degree in Management. Note 1.— Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body shall ordinarily be for an initial period of five years and extendable up to seven years on yearly basis subject to prior approval of the lending organisation. Note 2.— The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. Deputation-**Executive Engineer** Officers from the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body-(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with four years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis as Assistant Executive Engineer or equivalent in pay level 10 or equivalent; or (iii) with seven years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis as Assistant Engineer or equivalent in pay level 7 or equivalent; and (b) possessing five years' experience of working on civil or electrical engineering and monitoring of construction activities in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body. Note 1.— Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body shall ordinarily be for an initial period of five years and extendable up to seven years on yearly basis subject to prior approval of the lending organisation.

not exceeding fifty-Six years as on the closing date of receipt of

		Note 2.— The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.
5.	Section Officer	"Deputation (including short term contract) —
		Officers from the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body—
		(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
		 (ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay level 6 or equivalent; and (b) possessing three years' experience in the fields of policy, planning and development, administration, human resource development, finance, vigilance, court cases and communication related matters in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body.
		Note 1.— Period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body shall ordinarily be for an initial period of five years and extendable up to seven years on yearly basis subject to prior approval of the lending organisation.
		Note 2.— The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. Short term contract— Where the Authority is unable to get suitable officers on deputation, the Authority may fill such vacancies by short term contract employment for a period of maximum six months at a time, from amongst the officers retired from analogous post in the Central Government or State Government or Union territory Administration and below the age of sixty-five years and having suitable qualifications and experience. The remuneration shall be paid as per extant rules and regulations of the Central Government on the subject."
6.	Private Secretary	"Deputation (including short term contract) —
		Officers from the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body.—
		(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
		(ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay level 6 or equivalent; and
		(b) possessing five years' experience of working as Private Secretary in Central Government or State Government or Union territory Administration or Statuary Body or Autonomous Body.
		Note 1— Period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body shall ordinarily be for an initial period of five

		years and extendable up to seven years on yearly basis subject to prior approval of the lending organisation.
		Note 2— The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.
		Short term contract— Where the Authority is unable to get suitable officers on deputation, the Authority may fill such vacancies by short term contract employment for a period of maximum six months at a time, from amongst the officers retired from analogous post in the Central Government or State Government or Union territory Administration and below the age of sixty-five years and having suitable qualifications and experience. The remuneration shall be paid as per extant rules and regulations of the Central Government on the subject.";
7.	Assistant	"Deputation (including short term contract) —
		Officers from the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body —
		(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
		(ii) with six years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay level 5 or equivalent; and
		(b) possessing three years' experience in administration, human resource development, finance in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body.
		Note 1.— Period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body shall ordinarily be for an initial period of five years and extendable up to seven years on yearly basis subject to prior approval of the lending organisation.
		Note 2.— The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.
		Short term contract— Where the Authority is unable to get suitable officers on deputation, the Authority may fill such vacancies by short term contract employmen for a period of maximum six months at a time, from amongst the officers retired from analogous post in the Central Government or State Government or Union territory Administration and below the age o sixty-five years and having suitable qualifications and experience. The remuneration shall be paid as per extant rules and regulations of the Central Government on the subject.";
8.	Personal Assistant	"Deputation (including short term contract) — Officers from the Central Government or State Government or Union
		territory Administration or Statuary Body or Autonomous Body — (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre of department; or

- (ii) with six years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay level 5 or equivalent;
- (iii) with ten years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis as Steno 'D' or equivalent in pay level 4 or equivalent; and
- (b) possessing five years' experience in secretarial practices, office management, effective communication skill, public dealing and related matters in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statuary Body or Autonomous Body.

Note I— Period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government / State Government / Union territory Administration / Statuary Body / Autonomous Body shall ordinarily be for an initial period of five years and extendable up to seven years on yearly basis subject to prior approval of the lending organisation.

Note 2— The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Short term contract—

Where the Authority is unable to get suitable officers on deputation, the Authority may fill such vacancies by short term contract employment for a period of maximum six months at a time, from amongst the officers retired from analogous post in the Central Government or State Government or Union territory Administration and below the age of sixty-five years and having suitable qualifications and experience. The remuneration shall be paid as per extant rules and regulations of the Central Government on the subject.";

9. Junior Engineer (Electrical & Civil)

"Deputation (including short term contract) —

Officers from the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statuary Body or Autonomous Body —

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay level 5 in the Public Works Department or equivalent; and
- (b) possessing three years' experience of working in civil engineering or electrical engineering and monitoring of construction activities in Central Government or State Government or Union territory Administration or Statuary Body or Autonomous Body.

Note 1— Period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statuary Body or Autonomous Body shall ordinarily be for an initial period of five years and extendable up to seven years on yearly basis subject to prior approval of the lending organisation.

Note 2— The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Short term contract—

1		Where the Authority is unable to get suitable officers on deputation, the Authority may fill such vacancies by short term contract employment for a period of maximum six months at a time, from amongst the officers retired from analogous post in the Central Government or State Government or Union territory Administration and below the age of sixty-five years and having suitable qualifications and experience. The remuneration shall be paid as per extant rules and regulations of the Central Government on the subject."
0.	Sr. Accountant	"Deputation (including short term contract) —
		Officers from the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statuary Body or Autonomous Body —
		(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
		(ii) with six years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay level 5 or equivalent; (iii) with ten years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay level 4 or equivalent; and
		(b) possessing five years' experience in accounts, knowledge of general financial rules and regulations, projects, audit and budget work in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statuary Body or Autonomous Body.
		Note 1— Period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government / State Government / Union territory Administration / Statuary Body / Autonomous Body shall ordinarily be for an initial period of five years and extendable up to seven years on yearly basis subject to prior approval of the lending organisation.
		Note 2— The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.
		Short term contract— Where the Authority is unable to get suitable officers on deputation, the Authority may fill such vacancies by short term contract employment for a period of maximum six months at a time, from amongst the officers retired from analogous post in the Central Government or State Government or Union territory Administration and below the age of sixty-five years and having suitable qualifications and experience. The remuneration shall be paid as per extant rules and regulations of the Central Government on the subject.";
11	Accountant	"Deputation (including short term contract)—
		Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statuary Body or Autonomous Body — (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre of department; or
		(ii) with five years, regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay level 4 or equivalent; and
		(b) possessing three years' experience of working in accounts of finance, projects in the Central Government or State Government of Union territory Administration or Statuary Body or Autonomous Body

Note 1— Period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government / State Government / Union territory Administration / Statuary Body / Autonomous Body shall ordinarily be for an initial period of five years and extendable up to seven years on yearly basis subject to prior approval of the lending organisation.

Note 2— The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Short term contract—

Where the Authority is unable to get suitable officers on deputation, the Authority may fill such vacancies by short term contract employment for a period of maximum six months at a time, from amongst the officers retired from analogous post in the Central Government or State Government or Union territory Administration and below the age of sixty-five years and having suitable qualifications and experience. The remuneration shall be paid as per extant rules and regulations of the Central Government on the subject.";

12. Cashier

"Deputation (including short term contract)—

Officers from the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body —

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with three years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay level 1 or equivalent; and
- (b) possessing three years' experience of working in accounts or finance projects or handling of cash in Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body.

Note 1.— Period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statutory Body or Autonomous Body shall ordinarily be for an initial period of five years and extendable up to seven years on yearly basis subject to prior approval of the lending organisation.

Note 2.— The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Short term contract—

Where the Authority is unable to get suitable officers on deputation, the Authority may fill such vacancies by short term contract employment for a period of maximum six months at a time, from amongst the officers retired from analogous post in the Central Government or State Government or Union territory Administration and below the age of sixty-five years and having suitable qualifications and experience. The remuneration shall be paid as per extant rules and regulations of the Central Government on the subject."

13. | Stenographer (Grade-D) |

"Deputation (including short term contract)

Officers from the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statuary Body or Autonomous Body —

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay level 3 or equivalent; and
- (b) possessing three years' experience of working as Personal Assistant in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statuary Body or Autonomous Body.

Note 1— Period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Statuary Body or Autonomous Body shall ordinarily be for an initial period of five years and extendable up to seven years on yearly basis subject to prior approval of the lending organisation.

Note 2— The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Short term contract-

Where the Authority is unable to get suitable officers on deputation, the Authority may fill such vacancies by short term contract employment for a period of maximum six months at a time, from amongst the officers retired from analogous post in the Central Government or State Government or Union territory Administration and below the age of sixty-five years and having suitable qualifications and experience. The remuneration shall be paid as per extant rules and regulations of the Central Government on the subject.";







'अपन् 2023 INDIA

Self-Attested passport

size photograph

APPLICATION FOR THE POST OF:

Sl. No.	Particulars	Details		
1.	Name of applicant with designation and complete office address (in block letters), e-mail & Tele. No.			
2.	Father's Name			
3.	Residential Address with Phone No.			
4.	Permanent Address			
5.	Date of Birth (in Christian era)			
6.	Whether belongs to SC/ST/OBC			
7.	Date of first joining in Central Government / State Government / Union territory Administration / Statuary Body / Autonomous Body			
8.	Date of retirement under Central Government / State Government / Union territory Administration / Statuary Body / Autonomous Body			
9.	Educational Qualifications			
10.	Whether belongs to All India or Organized Gr.A Services? If Yes, then mention name of Service and Batch			
11.	Post held on regular (i.e. substantive) basis and the date from which held with grade pay			

(Signature of the Applicant) Page 01 of 04

12.	Prese	nt Pay				man and the same		
13.	Details of Employment, of last 10 years in chronological order. Enclose a separate sheet, duly authenticated under your signature.							
	Enclo	se a separate	sheet, duly	y authenti	cated u	nder your si	gnature.	
Name of Office / organization where employed		Post Held	From	То	Basic Pay		Major Duties	
1.4	NT - Aun	of management of	ana layan an	tie od h	00			
14.		re of present e		it i.c. au ii	00			
15	or ter	nporary or pe	amploym	ent is held	on			
15.	Depu	se the present tation/ contra	act basis, 1	olease stat	ie e			
	a) The date of initial appointment.							
	b)	b) The period of appointment on deputation / contract						
	c)							
16.	Train	ning / Courses			367			
17.	Addiremple a) b) c) d) e) f)	tional details a oyment: - ease state whe Central Gove State Govern Autonomous Central Pub State Public Statutory Bo	about your ther worki ernment nment s Organizat lic Sector Un ody/ UT Ac	ng under- tions Jndertakir dertaking Iministrat	ng		Substitution of the state of th	
18.	appl his/ "dut: Anno requ	tional informaticant may like her suitability ies" mentioned exure-A. Encloired.	to mention y for the pod in column ose a separ	n in suppo ost vis-a-vi n 2 of rate sheet,	iz the			
19.		erence of palco i) ii)	e for postir iii)	ng in ICPs:				

-			4		
\mathbf{I}	in	ú.	4-	10	
IJ	d	Ŀ	Ł	c	

(Signature of the Applicant)
Mobile No:-
Address for communication:

DECLARATION BY THE APPLICANT

1. I,	(applicant nam	ae) her	eby
declare that my posting on deputation as		(p	ost
name) in LPAI shall not bestow any right to	me to claim either s	eniorit	y in
the said post in respect of the services ren	dered by me on dep	utation	n or
regular appointment.			
2. I will not claim absorption in LPAI in t	he said post.		
3. I am liable to be repatriated to my inaccuracies in the details noted above provisions in the rules/ orders governing the	or for contraventic		
Date:			
Place:	(Signature of	f	the
Applicant)			

CERTIFICATE TO BE RECORDED BY THE HEAD OF OFFICE / OFFICER NOT BELOW THE RANK OF UNDER SECRETARY IN GOI WHILE FORWARDING THE APPLICATION


- 1. Certified that the particulars furnished by the applicant are true and have been verified from the service records.
- The applicant, if selected, will be relieved immediately.
- Attested copies of ACR/APAR for the last five years are enclosed.
- 4. The record of the service of the Official has been carefully scrutinized and it is certified that there is no doubt about his/her integrity.
- 5. It is certified that no disciplinary/vigilance case is either pending or contemplated against the applicant and he/she is clear from vigilance angle.
- 6. It is certified that no major/minor penalty has been imposed or contemplated on him/her during last 10 years.

Date:	Signature:
Place:	Name:
	Designation
	Telephone No.
	Official Seal:

Note: All Terms & Conditions of deputation / foreign services will be followed as per DoP&T O.M. No. 6/8/2009-Estt.(Pay II) dated 17.06.2010 and as amended from time to time.









प्रथम तल , लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली -110003

दिनांक : 19.07.2024

2899-16

ई-13012/1/2024/एलपीएआई/प्रतिनियुक्ति भर्ती (भाग-1)/3704359

रिक्ति परिपत्र

विषय: भारतीय भूमि पतन प्राधिकरण सचिवालय, नई दिल्ली और इसकी एकीकृत जांच चौकियों में केंद्र/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन/सांविधिक निकाय/स्वायत्त निकाय में काम करने वालों से रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति (विदेश सेवा) के आधार पर भरना।

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (एलपीएआई), भारत की अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमाओं पर विभिन्न स्थानों पर भूमि पत्तनों/एकीकृत जांच चौिकयों (आईसीपी) के विकास और प्रबंधन के लिए भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2010 के अधीन स्थापित एक सांविधिक निकाय है, जो अपने सचिवालय और एकीकृत जांच चौिकयों के लिए केंद्र/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन/सांविधिक निकाय/ स्वायत्त निकाय के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति (विदेशी सेवा) के आधार पर निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने का प्रस्ताव करता है:-

आरतीय भूमि पतन प्राधिकरण सचिवालय, नई दिल्ली

क्र.सं.	पद का नाम	पूर्व-संशोधित वेतन बैंड + ग्रेड वेतन	वेतन मैट्रिक्स स्तर (7 th CPC)	भरे जाने वाले पदों की संख्या
1.	निदेशक	वेतन बैंड -4 + 8700	स्तर - 13	1
18741	अवर सचिव	वेतन बैंड -3 + 6600	स्तर - 11	1
2.	कार्यकारी अभियंता	वेतन बैंड -3 + 6600	स्तर - 11	1
4.	अनुभाग अधिकारी	वेतन बैंड -2 + 4600	स्तर - 7	1
5.	निजी सचिव	वेतन बैंड -2 + 4600	स्तर - 7	1
6.	सहायक	वेतन बैंड -2 + 4200	स्तर - 6	2
7.	निजी सहायक	वेतन बैंड -2 + 4200	स्तर - 6	2
8.	कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल और इलेक्ट्रिकल)	वेतन बैंड -2 + 4200	स्तर - 6	2 (1 प्रत्येक)
9.	वरिष्ठ लेखाकार	वेतन बैंड -2 + 4200	स्तर - 6	1
10.	लेखाकार	वेतन बैंड -1 + 2800	स्तर - 5	1 1
11.	रोकड़िया	वेतन बैंड -1 + 1900	स्तर - 2	1
12.	आश्रुलिपिक ग्रेड "घ"	वेतन बैंड -1 + 2400	स्तर - 4	1
12.	311311111111111111111111111111111111111		उप योग (ए)	15

एकीकृत जांच चौिकयों के लिए:

1.	प्रबंधक	वेतन बैड -3 + 6600	स्तर -11	1
2.	सहायक	वेतन बैंड -2 + 4200	स्तर -6	8
3.	आशुतिपिक (ग्रेड - डी)	वेतन बैंड -1 + 2400	स्तर -4	7
			उप योग (बी))	16
		31		

- 2. (i) सक्षम प्राधिकारी, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के विवेक पर रिक्तियों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
- (ii) एकीकृत जांच चौकियों में रिक्त पदों के लिए चयनित अधिकारी/कर्मचारी को अटारी, जोगबनी, रक्सौल, अगरतला, डॉकी, पेट्रापोल और मोरेह में स्थित किसी भी एकीकृत जांच चौकियों में तैनात किया जा सकता है।
- (iii) भारतीय भूमि पतन प्राधिकरण (केवल केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए ही) जीपीआरए के लिए एक पात्र कार्यालय है।
- 3. उपरोक्त पदों के लिए पात्रता और अन्य शर्तों के साथ-साथ कार्यों और जिम्मेदारियों का विवरण अनुबंध 'ए' में दिया गया है।
- 4. आवेदन का प्रारूप अनुबंध -'बी' में संलग्न है।
- 5. लेवल 7 और उससे नीचे के पदों के लिए आवेदकों को कंप्यूटर का, विशेष रूप से ई-ऑफिस, ईमेल आदि सहित एमएस ऑफिस के सभी मॉड्यूल में, बुनियादी कामकाजी ज्ञान होना चाहिए।
- 6. प्रतिनियुक्ति प्रारंभ में पांच वर्ष की अवधि के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की अवधि में केंद्र सरकार में उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पहले धारित किसी अन्य संवर्ग- बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति इस नियुक्ति से नियमित नियुक्ति का कोई दावा नहीं कर सकेगा।
- 7. प्रतिनियुक्ति इस विषय पर डीओपीएंडटी के विभिन्न परिपत्रों और विशेष रूप से डीओपीएंडटी के ओएम संख्या 6/8/2009-स्था. (वेतन II) दिनांक 17.06.2010 और उसके बाद किए गए संशोधन में यथा निर्धारित प्रतिनियुक्ति के निबंधन और शर्तों के अधीन होगी।
- 8. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 02.09.2024 है।
- 9. इच्छुक और पात्र अधिकारियों के आवेदन, जिनको सेवाओं से तुरंत कार्यमुक्त किया जा सकता है, पिछले 5 वर्ष की एसीआर/एपीएआर की सत्यापित प्रतियां और सतर्कता मंजूरी/सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र के साथ उचित माध्यम से उप सचिव(प्रशासन), भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, प्रथम तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 को भेजे जाएं, तािक वे भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण में 02.09.2024 तक पहुंच जाये।

10. आवेदक उपरोक्त पते पर डाक द्वारा और ईमेल आईडी: dsga-lpai@lpai.gov.in पर अग्रिम प्रतियां भेज सकते हैं। तथापि, केवल नियत तिथि तक उचित माध्यम से प्राप्त और सभी प्रकार से पूर्ण आवेदनों पर ही चयन के लिए विचार किया जाएगा।

11. इस संबंध में सभी विवरण इस प्राधिकरण की वेबसाइट http://lpai.gov.in से रिक्तियां टैब, गृह मंत्रालय: http://mha.nic.in/vacancies और राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल: www.ncs.gov.in पर प्राप्त किए जा सकते है।

II My BO C TON 3 W

(मधुकर पांडेय) उप सचिव (प्रशासन) E-mail:- <u>dsga-lpal@lpal.gov.in</u> Tel:- 011-24340708

- 1. भारत सरकार के सभी विभागों के सचिवों से अनुरोध है कि अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों के बीच इसको व्यापक रूप से प्रसारित करें।
- 2. सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और आवासीय आयुक्तों से अनुरोध है कि अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों के बीच इसको व्यापक रूप से प्रसारित करें।
- 3. निदेशक (सीएस प्रभाग) DoP&T, लोक नायक भवन, खान मार्केट से अनुरोध है कि अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों के बीच इसको व्यापक रूप से प्रसारित करें और इसे वेबसाइट पर भी पोस्ट करें।
- 4. महानिदेशक, सीपीडब्ल्यूडी, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
- 5. डीजी बीएसएफ, ब्लॉक नंबर 10, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, दिल्ली 110003 से अन्रोध है कि अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों के बीच इसको व्यापक रूप से प्रसारित करें।
- 6. डीजी एसएसबी, विवेकानंद मार्ग, ईस्ट ब्लॉक 5, आरके पुरम, नई दिल्ली, दिल्ली 110066 से अनुरोध है कि अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों के बीच इसको व्यापक रूप से प्रसारित करें।
- 7. डीजी आईटीबीपी, ब्लॉक नंबर-2, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली, दिल्ली 110003 से अनुरोध है कि अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों के बीच इसको व्यापक रूप से प्रसारित करें।
- 8. महानिदेशक असम राइफल्स, ई. खासी हिल्स (शिलांग), मेघालय, भारत से अनुरोध है कि अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों के बीच इसको व्यापक रूप से प्रसारित करें।
- 9. महानिदेशालय, सीआरपीएफ, ब्लॉक नंबर-1, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 से अनुरोध है कि अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों के बीच इसको व्यापक रूप से प्रसारित करें।
- 10. सचिव (बीएम) के पीपीएस/ संयुक्त सचिव (बीएम) /उप सचिव(बीएम-II),गृह मंत्रालय के पीएस
- 11. अटारी, अगरतला, पेट्रापोल, रक्सौल, जोगबनी, मोरेह और डॉकी भूमि पत्तन में एकीकृत जांच चौकी के प्रबंधक इसे अपने नोटिस बोर्ड पर लगाएं।
- 12. आईटी अनुभाग, गृह मंत्रालय इसे बीएम-II प्रभाग, गृह मंत्रालय के माध्यम से गृह मंत्रालय की वेबसाइट http://mha.nic.in/vacancies पर पोस्ट करवाएं।
- 13. आईटी प्रभाग, एलपीएआई इसे एलपीएआई की वेबसाइट http://lpai.gov.in पर उपयुक्त स्थान पर पोस्ट करें।
- 14. आईटी प्रभाग, एनसीएस इसे एनसीएस पोर्टल की वेबसाइट www.ncs.gov.in पर उपयुक्त स्थान पर पोस्ट करें।
- 15. संयुक्त सीजीए, महालेखा नियंत्रक भवन, वित्त मंत्रालय, जीपीओ कॉम्प्लेक्स ब्लॉक-ई, एविएशन कॉलोनी, नई दिल्ली-110023

16. माननीय प्रधान जिला एव सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), तीस हजारी न्यायालय, भीक् राम जैन मार्ग, राजपुर रोड, ब्लॉक बीजीएस, कमला नेहरू रिज, सिविल लाइंस नई दिल्ली-110054 से अनुरोध है कि इसे अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों के बीच व्यापक रूप से प्रसारित करें।

17. अध्यक्ष सीबीडीटी, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली से अनुरोध है कि इसे अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों के बीच व्यापक रूप से प्रसारित करें।

18. अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली से अनुरोध है कि इसे अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों HAPPY LYDZM के बीच व्यापक रूप से प्रसारित करें।

(मधुकर पांडेय)

उप सचिव (प्रशासन)

E-mail:- dsga-lpai@lpai.gov.in

Tel:- 011-24340708

आवेदन अग्रेषित करते समय कार्यालयाध्यक्ष /भारत सरकार में अवर सचिव पद के अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाने वाला प्रमाण पत्र

- 1. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दिए गए विवरण सही हैं और सेवा रिकॉर्ड से सत्यापित किए गए हैं।
- 2. आवेदक को चयनित होने पर, तुरंत कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।
- 3. पिछले पांच वर्षों की एसीआर/एपीएआर की सत्यापित प्रतियां संलग्न हैं।
- 4. अधिकारी की सेवा के रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक जांच की गई है और यह प्रमाणित किया जाता है कि उनकी सत्यनिष्ठा के बारे में कोई संदेह नहीं है।
- 5. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक / सतर्कता का मामला न तो लंबित है और न ही विचाराधीन है और वह सतर्कता की दृष्टि से निर्दोष है।
- 6. यह प्रमाणित किया जाता है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान उन पर कोई बड़ा/छोटा जुर्माना नहीं लगाया गया है या उस पर विचार नहीं किया गया है।

तारीख:	हस्ताक्षरः
स्थान:	नाम:
	पदनाम
	टेलीफ़ोन नंबर
	शासकीय सील :

ध्यान दें: प्रतिनियुक्ति / विदेशी सेवाओं के सभी निबंधन और शर्तों का DoP&T का.ज्ञा संख्या 6/8/2009-स्था.(वेतन II) दिनांक 17.06.2010 और समय-समय पर यथासंशोधित के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण में समूह 'ए' के पदों को प्रतिनियुक्ति द्वारा और समूह 'बी' और 'सी' के पदों को प्रतिनियुक्ति और अल्पकालिक संविदा के आधार पर भरे जाने के लिए पात्रता मानदंड।

1. निदेशक

प्रतिनिय्क्ति -

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत निकाय के अधिकारी-

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या
- (ii) जिन्होंने वेतन स्तर 12 या समतुल्य वेतन स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय में व्यापार और वाणिज्य, नीति, सुरक्षा, योजना तथा विकास, प्रशासन, वित्त तथा विधिक मामलों के क्षेत्र में तीन वर्ष का अन्भव रखते हों।

दिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष की आरंभिक अवधि है और इसे उधारदाता संगठन के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन वार्षिक आधार पर सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 16. माननाय प्रधान जिला एव सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), तीस हजारा न्यायालय, माकू राम जन मार्ग, राजपुर रोड, ब्लॉक बीजीएस, कमला नेहरू रिज, सिविल लाइंस नई दिल्ली-110054 से अनुरोध है कि इसे अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों के बीच व्यापक रूप से प्रसारित करें।

17. अध्यक्ष सीबीडीटी, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली से अनुरोध है कि इसे अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों के बीच व्यापक रूप से प्रसारित करें।

18. अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली से अनुरोध है कि इसे अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों के बीच ट्यापक रूप से प्रसारित करें।

(मधुकर पांडेय)

उप सचिव (प्रशासन)

E-mail:- dsga-lpai@lpai.gov.in

Tel:- 011-24340708

अवर सचिव

2.

प्रतिनियुक्ति-

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय के अधिकारी-

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या
- (ii) जिन्होंने वेतन स्तर 10 या समतुल्य वेतन स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (iii) जिन्होंने वेतन स्तर 8 या समतुल्य वेतन स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत निकाय में नीति, योजना और विकास, प्रशासन, मानव संसाधन विकास, वित, सतर्कता, न्यायालय के मामलों, संचार संबंधित मामलों के क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव रखते हों।

दिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत निकाय के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष की आरंभिक अवधि है और इसे उधारदाता संगठन के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन वार्षिक आधार पर सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

दिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ।

Г)	प्रतिनियुक्ति-
	3.	प्रव	धक	केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या सघ राज्य क्षेत्र
1	, 10 10			प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत निकाय के
1				अधिकारी-
				(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार
				पर अटश पद धारण किए हए हो; या
				(ii) जिन्होंने वेतन स्तर 10 या समतुल्य वेतन स्तर
				में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रणा म
				पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और
				(iii) जिन्होंने वेतन स्तर 8 या समतुल्य वेतन स्तर
				में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में
				आठ वर्ष नियमित सेवा की हो; और
				(ख) जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ
				राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत
				निकाय में प्रबंधन, योजना और विकास, प्रशासन, मानव
				संसाधन विकास, वित्त, सतर्कता, न्यायालय के मामलों,
				संचार संबंधित मामलों के क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव
				रखते हों।
				वांछनीय- प्रबंधन में मास्टर डिग्री धारकों को वरीयता दी
				जाएगी।
				टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अधीन
				केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र
				प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत निकाय के उसी
				या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के
				ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर
				प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष की
				आरंभिक अवधि है और इसे उधारदाता संगठन के पूर्व
				अनुमोदन के अध्यधीन वार्षिक आधार पर सात वर्ष तक
				बढ़ाया जा सकता है।
				टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम
				आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को
				56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
		4.	कार्यकारी अभियंता	प्रतिनियुक्ति-
				केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र
				प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत निकाय के
				अधिकारी-
				(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार
				पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या
		l.		
	17			

- जिन्होंने वेतन स्तर 10 या समतुल्य में सहायक कार्यकारी इंजीनियर या समकक्ष पद में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (iii) जिन्होंने वेतन स्तर 7 या समतुल्य वेतन स्तर में सहायक अभियंता या समकक्ष के रूप मे नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या सांविधिक निकाय या स्वायत निकाय में सिविल इंजीनियरी या इलैक्ट्रिकल इंजीनियरी में कार्य करने तथा सन्निर्माण कार्यकलापों को मॉनिटरिंग करने का पांच वर्ष का अन्भव रखते हों।

टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति" (अल्पकालिक संविदा सहित)" की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष की आरंभिक अवधि है और इसे उधारदाता संगठन के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन वार्षिक आधार पर सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अनुभाग अधिकारी

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या
- (ii) जिन्होंने वेतन स्तर 6 या समतुल्य वेतन स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत निकाय में नीति, योजना और विकास, प्रशासन, मानव संसाधन विकास, वित्त, सतर्कता, न्यायालय के मामलों,

संचार संबंधित मामलों के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव रखते हों।

िटपण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत निकाय के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष की आरंभिक अवधि है और इसे उधारदाता संगठन के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन वार्षिक आधार पर सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अल्पकालिक संविदा-

जहां प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अधिकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है वहां प्राधिकरण ऐसी रिक्तियां केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारियों, जो सदृश पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है तथा उपयुक्त अर्हताएँ और अनुभव रखते हैं, में से एक समय में अधिकतम छः मास की अवधि के लिए अल्पकालिक संविदा नियोजन द्वारा भर सकेगा। पारिश्रमिक का भुगतान इस विषय पर केंद्रीय सरकार के वर्तमान नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाएगा।

6. निजी सचिव

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदश पद धारण किए हुए हो; या
- (ii) जिन्होंने वेतन स्तर 6 अथवा समतुल्य वेतन स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत निकाय में निजी सचिव के रूप में पांच वर्ष कार्य करने का अनुभव रखते हों।

दिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत निकाय के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर "प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सिहत)" की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष की आरंभिक अवधि है और इसे उधारदाता संगठन के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन वार्षिक आधार पर सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अल्पकालिक संविदा-

जहां प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अधिकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है वहां प्राधिकरण ऐसी रिक्तियां केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारियों, जो सदृश पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है तथा उपयुक्त अर्हताएँ और अनुभव रखते हैं, में से एक समय में अधिकतम छः मास की अवधि के लिए अल्पकालिक संविदा नियोजन द्वारा भर सकेगा। पारिश्रमिक का भुगतान इस विषय पर केंद्रीय सरकार के वर्तमान नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाएगा।

7. सहायक

प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा शामिल है) -केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय के अधिकारी-

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या
- (ii) जिन्होंने वेतन स्तर 5 या समतुल्य वेतन स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छ: वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत निकाय में प्रशासन, मानव संसाधन विकास, वित्त में तीन वर्ष कार्य करने अनुभव रखते हों।

टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत निकाय के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर " प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)" की अविध है, साधारणतया पांच वर्ष की आरंभिक अविध है और इसे उधारदाता संगठन के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन वार्षिक आधार पर सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अल्पकालिक संविदा-

जहां प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अधिकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है वहां प्राधिकरण ऐसी रिक्तियां केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारियों, जो सदृश पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है तथा उपयुक्त अर्हताएं और अनुभव रखते हैं, में से एक समय में अधिकतम छः मास की अवधि के लिए अल्पकालिक संविदा नियोजन द्वारा भर सकेगा। पारिश्रमिक का भुगतान इस विषय पर केंद्रीय सरकार के वर्तमान नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाएगा।

8. वैयक्तिक सहायक

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदश पद धारण किए हुए हो; या
- (ii (जिन्होंने वेतन स्तर 5 या समतुल्य वेतन स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छ: वर्ष नियमित सेवा की हो;
- (iii) जिन्होंने वेतन स्तर 4 या समतुल्य वेतन स्तर में आशुलिपिक श्रेणी घ या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् इस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत निकाय में सचिवालय कार्यप्रणाली, कार्यालय प्रबंधन, प्रभावी

संप्रेषण कौशल, लोकव्यवहार तथा संबंधित मामलों में पांच वर्ष कार्य करने का अनुभव रखते हो।

दिण्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अविध जिसके अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत निकाय के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर "प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सिहत)" की अविध है, साधारणतया पांच वर्ष की आरंभिक अविध है और इसे उधारदाता संगठन के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन वार्षिक आधार पर सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

िटपण 2- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अल्पकालिक संविदा-

जहां प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अधिकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है वहां प्राधिकरण ऐसी रिक्तियां केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारियों, जो सदृश पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है तथा उपयुक्त अर्हताएँ और अनुभव रखते हैं, में से एक समय में अधिकतम छः मास की अवधि के लिए अल्पकालिक संविदा नियोजन द्वारा भर सकेगा। पारिश्रमिक का भुगतान इस विषय पर केंद्रीय सरकार के वर्तमान नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाएगा।

 किनष्ठ इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल एवं सिविल)

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या
- (ii) जिन्होंने लोक निर्माण विभाग या समतुल्य में वेतन स्तर 5 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय में सिविल इंजीनियरी या इलैक्ट्रिकल इंजीनियरी में कार्य

करने और सिन्नर्माण कार्यकलापों की मॉनिटरिंग करने का तीन वर्ष का अनुभव रखते हों।

दिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत निकाय के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति " (अल्पकालिक संविदा सहित)" की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष की आरंभिक अवधि है और इसे उधारदाता संगठन के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन वार्षिक आधार

पर सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम
आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को
56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अल्पकालिक संविदा-

जहां प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अधिकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है वहां प्राधिकरण ऐसी रिक्तियां केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारियों, जो सदृश पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है तथा उपयुक्त अर्हताएँ और अनुभव रखते हैं, में से एक समय में अधिकतम छः मास की अवधि के लिए अल्पकालिक संविदा नियोजन द्वारा भर सकेगा। पारिश्रमिक का भुगतान इस विषय पर केंद्रीय सरकार के वर्तमान नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाएगा।

10. वरिष्ठ लेखाकार

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या
- (ii) जिन्होंने वेतन स्तर 5 या समतुल्य वेतन स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छ: वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (iii) जिन्होंने वेतन स्तर 4 या समतुल्य वेतन स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या सघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत निकाय में सामान्य वित्तीय नियमों तथा विनियमों, परियोजनाओं, लेखा परीक्षा और बजट कार्य में पांच वर्ष का अन्भव रखते हैं।

दिण्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अविध जिसके अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत निकाय के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर " प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सिहत)" की अविध है, साधारणतया पांच वर्ष की आरंभिक अविध है और इसे उधारदाता संगठन के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन वार्षिक आधार पर सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

दिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अल्पकालिक संविदा-

जहां प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अधिकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है वहां प्राधिकरण ऐसी रिक्तियां केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारियों, जो सदृश पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है तथा उपयुक्त अर्हताएँ और अनुभव रखते हैं, में से एक समय में अधिकतम छ: मास की अवधि के लिए अल्पकालिक संविदा नियोजन द्वारा भर सकेगा। पारिश्रमिक का भुगतान इस विषय पर केंद्रीय सरकार के वर्तमान नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाएगा।

11. लेखाकार

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या
- (ii) जिन्होंने वेतन स्तर 4 या समतुल्य वेतन स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत निकाय में लेखा या वित्त, परियोजनाओं में कार्य करने का तीन वर्ष का अनुभव रखते हों।

दिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अविध जिसके अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत निकाय के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर " प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सिहत)" की अविध है, साधारणतया पांच वर्ष की आरंभिक अविध है और इसे उधारदाता संगठन के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन वार्षिक आधार पर सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

दिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अल्पकालिक संविदा-

जहां प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अधिकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है वहां प्राधिकरण ऐसी रिक्तियां केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारियों, जो सदृश पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है तथा उपयुक्त अर्हताएं और अनुभव रखते हैं, में से एक समय में अधिकतम छः मास की अवधि के लिए अल्पकालिक संविदा नियोजन द्वारा भर सकेगा। पारिश्रमिक का भुगतान इस विषय पर केंद्रीय सरकार के वर्तमान नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाएगा।

12. रोकड़िया

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या
- (ii) जिन्होंने वेतन स्तर 1 या समतुल्य वेतन स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में या सांविधिक निकाय या स्वायत निकाय

में लेखाओं या वित्त परियोजनाओं में कार्य करने अथवा नकदी संचालन का तीन वर्ष का अनुभव रखते हों। टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अविध जिसके अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत निकाय के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर " प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)"की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष की आरंभिक अवधि है और इसे उधारदाता संगठन के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन वार्षिक आधार पर सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अल्पकालिक संविदा-

जहां प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अधिकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है वहां प्राधिकरण ऐसी रिक्तियां केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारियों, जो सदृश पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है तथा उपयुक्त अर्हताएं और अनुभव रखते हैं, में से एक समय में अधिकतम छ: मास की अवधि के लिए अल्पकालिक संविदा नियोजन द्वारा भर सकेगा। पारिश्रमिक का भुगतान इस विषय पर केंद्रीय सरकार के वर्तमान नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाएगा।

आशुलिपिक (ग्रेड-डी) 13.

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या
- जिन्होंने वेतन स्तर 3 या समतुल्य वेतन स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत निकाय में वैयक्तिक सहायक के रूप में कार्य करने का तीन वर्ष का अनुभव रखते हों।

िटपण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत निकाय के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर " प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)" की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष की आरंभिक अवधि है और इसे उधारदाता संगठन के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन वार्षिक आधार पर सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अल्पकालिक संविदा-

जहां प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अधिकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है वहां प्राधिकरण ऐसी रिक्तियां केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारियों, जो सदृश पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है तथा उपयुक्त अर्हताएँ और अनुभव रखते हैं, में से एक समय में अधिकतम छः मास की अवधि के लिए अल्पकालिक संविदा नियोजन द्वारा भर सकेगा। पारिश्रमिक का भुगतान इस विषय पर केंद्रीय सरकार के वर्तमान नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाएगा।







के पद के लिए आवेदन:

स्वप्रमाणित पासपोर्ट आकार का फोटो

क्रम संख्या	विवरण	ब्यौरा
1.	आवेदक का नाम, पदनाम और पूरा कार्यालय पता (स्पष्ट अक्षरों में) ईमेल एवं टेलीफोन नंबर	
2.	पिता का नाम	
3.	आवासीय पता तथा फ़ोन नंबर	
4.	स्थायी पता	
5.	जन्मतिथि (अंकों में)	
6.	क्या अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित है।	60
7.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन/सांविधिक निकाय/स्वायत निकाय में प्रथम कार्यग्रहण की तारीख	
3.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन / सांविधिक निकाय / स्वायत निकाय के तहत सेवानिवृत्ति की तारीख	
).	शैक्षिक अर्हताएं	
0.	क्या अखिल भारतीय या संगठित ग्रेड ए सेवाओं से संबंधित है? यदि हां, तो सेवा और बैच का नाम बताएं।	
1.	नियमित (अर्थात मल) भाषाय पर धारित पर और —	

12.	वर्तमान वेतन
13.	वितमान वैतन पिछले 10 वर्षों के रोजगार का कालानुक्रमिक विवरण। अपने हस्ताक्षर से विधिव
	अनुप्रमाणित एक अलग शीट संलग्न करें।

	संगठन का	धारित	कब से	कब तक	मूल वेतन	ग्रेड वेतन	मुख्य कार्य
म जहां	कार्यरत हैं	पद			4601		
					2 -		
4.	वर्तमान रोज	गार की प्रवृ	ृति अर्थात	तदर्थ या उ	अस्थाया या		
	±शासी						No. 1
5.	यदि वर्तमान	रोजगार प्र	ातिनियुक्ति	त/अनुबंध क	आधार पर		
	है, तो कृपया	बताएं	- 0				
	क) प्रारंभि	क नियुक्ति	त की तार	ख ~~~ ^	्राचि		
	ख) प्रति	नेयुक्ति ।	सविदा पर	नियुक्ति की	। जवाप गंबंधित है।		
	ग) मूल	कार्यालय/ र	सगठन का	नाम । जसस	संबंधित है।		
16.	प्रशिक्षण/पाट्	यक्रम में व	नाग लिया	200	चित्रगाः-		
17.	आपके वर्तम	ान रोजगार	कं बार व	न अतिरक्त	ापपरणाः- स्टाके भशील		
	कृपया बताएं कि क्या आप निम्न में से किसके अधीन						
	काम कर रहे						
	क) केंद्र सरकार						
	ख) राज्य सरकार						
	ग) स्वायत संगठन घ) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम						
	घ) केंद्रीय	प्तावजानक ं	क्षेत्र उपक्रम	71			
	ड) राज्य स	।।वजानक व	तत्र उपश्रम संघ सस्य	भेत्र प्रशासन	7		
10	च) सावाध	क निकाया	गरि कोई	हो जिसे अ	विदक अनुबंध	ध	\$
18.	अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, जिसे आवेदक अनुबंध -ए के कॉलम 2 में उल्लिखित "कर्तव्यों" के साथ-साथ पद						
	के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लेख करना						
	चाहे। यदि आवश्यक हो तो एक अलग शीट संलग्न करें।						
10	चाहा याद	जापरपपा	यों में नि	यक्ति के वि	त्रेए स्थान व	की	
19.			-11 ×1 1*1	5			
	प्राथमिकत	i. ii)		iii)			
	i)	11)		,			

तारीख:

(आवेदक के हस्ताक्षर) मोबाइल नंबर:-----पत्राचार के लिए पता:

आवेदक द्वारा घोषणा

1. मैं, (आवेदक	का नाम) एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करती हूं कि भारतीय
भूमि पत्तन प्राधिकरण में	के पद पर (पद का नाम) प्रतिनियुक्ति पर मेरी तैनाती
से मुझे प्रतिनियुक्ति या नियमित नियुक्ति	पर मेरे द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में उक्त पद
पर वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिव	कार नहीं देगा।

- 2. मैं उक्त पद पर भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण में आमेलन का दावा नहीं करूंगा/ करूंगी।
- 3. ऊपर दिए गए विवरण में किसी भी अशुद्धि के लिए या प्रतिनियुक्ति को शासित करने वाले नियमों/आदेशों में किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए मैं अपने मूल संगठन में वापस भेजे जाने के लिए उत्तरदायी हूं।

तारीख:

स्थान:

(आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदन अग्रेषित करते समय कार्यालयाध्यक्ष ।भारत सरकार में अवर सचिव पद के अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाने वाला प्रमाण पत्र

- 1. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दिए गए विवरण सही हैं और सेवा रिकॉर्ड से सत्यापित किए गए हैं।
- 2. आवेदक को चयनित होने पर, तुरंत कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।
- 3. पिछले पांच वर्षों की एसीआर/एपीएआर की सत्यापित प्रतियां संलग्न हैं।
- 4. अधिकारी की सेवा के रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक जांच की गई है और यह प्रमाणित किया जाता है कि उनकी सत्यनिष्ठा के बारे में कोई संदेह नहीं है।
- 5. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक / सतर्कता का मामला न तो लंबित है और न ही विचाराधीन है और वह सतर्कता की दृष्टि से निर्दोष है।
- 6. यह प्रमाणित किया जाता है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान उन पर कोई बड़ा/छोटा जुर्माना नहीं लगाया गया है या उस पर विचार नहीं किया गया है।

तारीखः स्थानः	हस्ताक्षरः		
	नाम:		
	पदनाम		
	टेलीफ़ोन नंबर		
	शासकीय सील:		

ध्यान दें: प्रतिनियुक्ति / विदेशी सेवाओं के सभी निबंधन और शर्तों का DoP&T का.जा संख्या 6/8/2009-स्था.(वेतन II) दिनांक 17.06.2010 और समय-समय पर यथासंशोधित के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।